Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal
Volume - 8, Issue - 6, June - 2025
ISSN(o): 2581-6241
Impact Factor: 7.384

DOIs:10.2018/SS/202506010 --:-- Research Paper / Article / Review

भारतीय चुनावी व्यवस्था में उभरती चुनौतियाँ और एक राष्ट्र-एक चुनाव की वैकल्पिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अरुण कुमार, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
Email - arunsharma27856@gmail.com
किशोरी लाल, स्वतंत्र शोधार्थी, हिमाचल प्रदेश, शिमला

सार संक्षेप : भारतीय चुनावी व्यवस्था में सामान्यतः प्रत्येक संसदीय चुनाव के पश्चात चुनाव सुधारों की चर्चा-परिचर्चा देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण पाँच वर्षों के अंतराल में बार-बार चुनावों का आयोजन है। भारत में प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं के आम, मध्यावधि और उपचुनाव विभिन्न समयों पर आयोजित किए जाते हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न की जाँच करना है कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की चुनौतियाँ उभरकर सामने आ रही हैं, और क्या 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है? शोधार्थियों ने इस शोध पत्र में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति का उपयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बार-बार चुनाव होने के कारण चुनावी खर्चों में वृद्धि, लंबे समय तक लागू रहने वाली आचार संहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आपराधिकरण, शासन में व्यवधान तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनेक चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों में से अधिकांश का समाधान 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के माध्यम से संभव हो सकता है।

मुख्य शब्द : चुनाव, चुनाव सुधार, भारतीय चुनावी व्यवस्था में उभरती चुनौतियाँ, एक राष्ट्र-एक चुनाव.

1. प्रस्तावना :

लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी के अनेक साधन हैं, परंतु मतदान लोकतंत्र का वह अंतिम साधन है जिसके माध्यम से नागरिक अनेक उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधियों का चयन करके लोकतांत्रिक सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में तो 2013 से सभी उम्मीदवारों को खारिज करने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान प्रतिनिधि लोकतांत्रिक युग में, विश्व के आधे से अधिक देशों में चुनाव होते हैं। यह लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, जिसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्यतः विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार चुनने के दो रूप – संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएँ – प्रचलित हैं। कहीं-कहीं इन दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं में सामान्यतः चार, पाँच या छः वर्षों के बाद चुनावों के आयोजन का प्रावधान है, ताकि समय-समय पर लोगों को अपनी इच्छानुरूप सरकार के चयन का अवसर मिलता रहे। भारत में केंद्र व राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली तथा स्थानीय स्तर पर पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चयनित सभी निकायों का कार्यकाल पाँच वर्ष सुनिश्चित किया गया है। पाँच वर्ष के अंतराल के

पश्चात चुनाव होना आवश्यक भी है, ताकि समय-समय पर लोगों द्वारा मतदान के माध्यम से सत्ता को वैधता प्रदान की जा सके। परंतु चुनाव तब चिंता का विषय बन जाते हैं जब इनका आयोजन प्रत्येक वर्ष या एक ही वर्ष में अनेक बार किया जा रहा हो।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अब तक 425 से अधिक संसदीय चुनाव हो चुके हैं (कोविन्द, 2024)। 1992-93 में स्थानीय संस्थाओं के प्रावधान के पश्चात हर पाँच वर्ष के अंतराल में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का आयोजन अलग-अलग समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी निकायों के मध्यावधि चुनावों और रिक्त स्थानों को छह महीने के भीतर भरने के लिए उपचुनावों का आयोजन भी किया जाता है (अधिनियम, 1951)। इस कारण भारत में एक वर्ष में अनेक चुनाव होते हैं, जो न केवल विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि चुनावी खर्चों में वृद्धि, अधिक समय तक लागू रहने वाली आचार संहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आपराधिकरण, शासन एवं प्रशासन में व्यवधान तथा कानूनी व्यवस्था को अनेक चुनौतियाँ प्रदान करके अनैतिक राजनीतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देते हैं। भारतीय चुनावी व्यवस्था के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि इनका आयोजन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, परंतु यह स्वयं लोगों की समस्या बनते जा रहे हैं। इसी कारण भारतीय चुनावी व्यवस्था में सामान्यतः प्रत्येक संसदीय चुनाव के पश्चात चुनाव सुधार की चर्चा-परिचर्चा देखने को मिलती है। इस चुनाव सुधार को लेकर विद्वानों के मत अलग-अलग हैं; उदाहरण के लिए, कुछ विद्वान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाने के पक्ष में हैं, तो कुछ विद्वान संसदीय व्यवस्था में ही सुधार की वकालत करते हैं। भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की योजनाओं, कृत्यों और उनके विभिन्न प्रस्तावों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर लोग संसदीय व्यवस्था में सुधार के ही पक्षधर हैं। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' भी संसदीय व्यवस्था में सुधार का ही प्रस्तावित करता है मुख्यतः इसका अभिप्राय लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने से है। कोविन्द समिति ने संसदीय चुनावों के 100 दिनों के पश्चात स्थानीय चुनावों के आयोजन का सुझाव दिया है, ताकि बार-बार मतदान प्रमाण पत्रों की सूची तैयार करने के कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों से छुटकारा मिल सके। वहीं, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 129वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, सर्वप्रथम लोकसभा और विधानसभाओं के समकालिक चुनावों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि व्यापक चुनाव सुधार और विकसित भारत की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। इस शोध का मुख्य केंद्रीय विषय यही है कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' से किन-किन समस्याओं के हल होने की संभावना है।

2. साहित्य का पुनरावलोकन

Raju, B. M. (2015) ने अपने शोध पत्र *"Indian Electoral System - Major Issues and Remedies"* में चुनावी व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का व्यापक विश्लेषण करके इन चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं। शोधार्थी के अनुसार, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, चुनावों में धन-शक्ति, अपराधीकरण, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और मतदाता उदासीनता जैसी अनेक समस्याएँ हैं, जिनका समाधान चुनावी कानूनों के सख्त क्रियान्वयन, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध, और मतदाता जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया जा सकता है। इस शोध पत्र में भारत के संविधान द्वारा चुनाव आयोग (ECI) को दी गई स्वायत्तता और निष्पक्षता सहित, मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। Singh & Bedi (2019) ने अपनी पुस्तक *"Electoral System: Democracy, Laws & Issues"* में भारतीय चुनावी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं, उसके सामने मौजूद चुनौतियों और सुधारों का वर्णन किया है। लेखकों ने चुनावी घोषणापत्रों की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में त्रुटियाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट से जुड़ी चिंताओं, सोशल मीडिया के प्रभाव, दल-बदल विरोधी कानून, राजनीतिक अपराधीकरण और महिलाओं

के प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा, इस पुस्तक में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता और उनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करके लेखकों ने चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कुछ व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें राज्य द्वारा चुनावी वित्त पोषण, अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कड़े कानून, मतदाता जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करना शामिल है, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। Ubale & Shedge (2022) ने अपने शोध पत्र *"Electoral Reforms in India: Issues and Challenges Before the Election Commission"* में भारतीय चुनाव प्रणाली का गहन विश्लेषण करते हुए चुनाव सुधारों की आवश्यकता और चुनाव आयोग (ECI) को इन सुधारों को लागू करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन किया है। शोधार्थियों के अनुसार, भारत की चुनावी प्रणाली ने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है, लेकिन इसमें वित्तीय पारदर्शिता, राजनीति का अपराधीकरण, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और समकालिक चुनाव जैसी कई खामियाँ भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यह शोध पत्र चुनावी सुधारों से संबंधित समस्याओं की जटिलताओं को उजागर करके भारतीय लोकतंत्र को अधिक सशक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। कोविन्द समिति (2024) ने मुख्यतः *एक राष्ट्र-एक चुनाव* के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी सभी पहलुओं का अध्ययन किया है, जिनका प्रभाव भारतीय चुनावी व्यवस्था पर पड़ता है। यह एक व्यापक रिपोर्ट है, जिसमें *एक राष्ट्र-एक चुनाव* को लागू करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही, समिति ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक चुनावों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं—जैसे चुनावी खर्चों में वृद्धि, अधिक समय तक लागू रहने वाली आचार संहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आपराधिकरण, शासन में व्यवधान और कानूनी चुनौतियाँ—का भी उल्लेख किया है। इस समिति ने लोकसभा और विधानसभा के समकालिक चुनाव के प्रावधान के समक्ष आने वाली संवैधानिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर व्यापक चर्चा की है, ताकि इसे व्यवहार में लाया जा सके।

3. शोध उद्देश्य

1. भारतीय चुनावी व्यवस्था में उत्पन्न हो रही चुनौतियाँ का अध्ययन करना।
2. भारत में चुनाव सुधार और एक राष्ट्र-एक चुनाव की आवश्यकता का अध्ययन करना।

4. शोध प्रश्न

1. क्या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान समय में हो रहे अत्यधिक चुनाव के कारण अत्यधिक चुनौतियाँ उभर कर समाने आ रही है?
2. क्या एक राष्ट्र-एक चुनाव द्वारा भारतीय चुनावी व्यवस्था में उत्पन्न हो रही चुनौतियाँ का हल किया जा सकता है?

5. चुनाव का अर्थ और प्रकार

चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है ताकि वे अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनकर सरकार के गठन में भाग ले सकें। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, *"मतदान द्वारा किसी व्यक्ति को पद, स्थान या सदस्यता के लिए चुनने की क्रिया या प्रक्रिया"* को चुनाव कहा जाता है (वेबस्टर, 2024)। गिलक्रिस्ट के अनुसार, *"चुनाव वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक समुदाय अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है और उन्हें शासन करने के लिए अधिकृत करता है।"* हेरॉल्ड जे. लास्की ने चुनाव को जनता के उस साधन के रूप में परिभाषित किया है, जो यह निर्धारित करता है कि कौन और किस प्रकार से शासन करेगा। चुनाव लोकतंत्र के त्योहार

होते हैं। इस लोकतांत्रिक युग में लगभग सभी देशों में विभिन्न प्रकार के चुनाव देखने को मिलते हैं। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के चुनाव होते हैं–प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय संस्थाओं के आम, मध्यावधि और उपचुनाव *प्रत्यक्ष चुनाव* के उदाहरण हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव *अप्रत्यक्ष चुनाव* के उदाहरण हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में संसदीय चुनावों का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन चुनावी संस्थाओं के बिना भारत में चुनावों का आयोजन असंभव है, अतः इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसका वर्णन इस प्रकार से है।

6. भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक चुनावी संस्थाओं की भूमिका

भारतीय चुनाव आयोग भारत में संसदीय चुनावों को संचालित और नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। 1952 से लेकर वर्तमान समय तक चुनाव आयोग द्वारा 18 लोकसभा चुनावों, 400 से अधिक विधानसभा चुनावों, तथा अनेक बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनावों का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आयोजन किया जा चुका है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के आयोजन के लिए भारतीय संविधान के भाग पंद्रह (क), अनुच्छेद 243-K में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, ताकि स्वराज की अवधारणा को साकार किया जा सके। संविधान में चुनावों के आयोजन के संबंध में केन्द्रीय और राज्य चुनाव आयोगों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं (Goutam & Hussain, 2020; Pedada, 2019)। लोकतंत्र की बागडोर वास्तव में चुनावी संस्थाओं के हाथों में होती है, इसलिए चुनाव आयोग की स्थापना से पहले संविधान सभा में चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली और उद्देश्यों को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। इसके पश्चात एक सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर की जाती थी। 1989 में, मतदाताओं की मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने तथा इस दौरान चुनाव प्रणाली में नई तकनीकों के इस्तेमाल के कारण चुनाव आयोग के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके समाधान के लिए, 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग के सहयोग हेतु दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु संसद द्वारा चुनाव आयोग अधिनियम, 2023 पारित किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा-शर्तों और कार्यकाल से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। इस नई व्यवस्था के लागू होने के पश्चात चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर विभिन्न विवाद सामने आए हैं (Babitha, 2019; Hande, Jun, 2024)। चुनाव आयोग भारतीय संसदीय व्यवस्था का वह स्तंभ है, जिस पर भारतीय लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। वर्तमान समय में भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोगों, सरकारों और अन्य संस्थाओं के समक्ष चुनावों के आयोजन से जुड़ी अनेक समस्याएँ सामने आ रही हैं, जिनका वर्णन शोधार्थियों ने 'संसदीय' और 'स्थानीय' नामक दो भागों में किया है।

7. संसदीय चुनावों के कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियाँ

संसदीय चुनावों का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसद और विधानसभाओं के लिए इसलिए किया जाता है, ताकि चुनाव के पश्चात चुनी गई सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में संसदीय चुनाव इतने अधिक हो रहे हैं कि वे स्वयं जनता के लिए एक समस्या बनते जा रहे हैं। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश की दिशा और दशा तय करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा भारत में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। आचार संहिता एक ऐसी नियमावली है, जो सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होती है, ताकि चुनावों के समय होने वाली अनियमितताओं और पक्षपात को रोका जा सके। वर्ष 2024 के चुनावों में सी-विजिल

ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 2.09 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थीं। निश्चित रूप से उनका समाधान एक प्रमुख चुनौती है (Roy, 2024, *The Hindu*, April 2024)। भारतीय राजनीति में 1990 का दशक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। 1989 से 1999 तक मात्र दस वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने के कारण केंद्र में पाँच बार सरकार का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त, कई अन्य कारणों के चलते केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में कई बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, जिसके कारण अनेक बार मध्यावधि चुनावों का आयोजन करना पड़ा। अत्यधिक चुनावों से न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों का सारा ध्यान चुनावी प्रचार-प्रसार में केंद्रित हो जाता है। इस कारण सरकार जनकल्याण की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाती, जिसे नीतिगत अपंगता (Policy Paralysis) कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का पुनरनिरीक्षण अथवा निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया काफी लंबी तथा खर्चीली होती है, जिसके कारण सरकारी धन और कर्मचारियों का समय व्यर्थ व्यतीत होता है (Palaniappan, 2011)। मध्यावधि चुनावों के अतिरिक्त, भारतीय संसदीय व्यवस्था में उपचुनावों का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी कारणवश सांसद, विधायक अथवा स्थानीय संस्था का पद रिक्त हो जाता है, तो रिक्त स्थान को छह महीने के भीतर भरने के लिए उपचुनाव का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए, फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के लिए दो बार अलग-अलग उपचुनावों का आयोजन किया गया, जिसका न केवल देश के विकास पर, बल्कि बड़े स्तर पर समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा (Gopal, Feb 2024; Roy, 2024)। 1951-52 में हुए पहले आम चुनावों के दौरान भारत की लगभग 85% आबादी अनपढ़ थी फिर भी इस चुनाव में 45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था (Guha, 2011)। वर्तमान समय में भारत की साक्षरता दर लगभग 77 प्रतिशत होने के बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 65.79 प्रतिशत मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस चुनावी पर्व में 35 प्रतिशत लोगों द्वारा चुनाव के अंतिम साधन मतदान में भाग न लेना, लोकतंत्र की वैधता के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है (Chakrabarty, 2024, *The Hindu*)। चुनावों के प्रति लोगों की अरुचि को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम में नोटा (None of the Above) का प्रावधान किया गया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में 0.99 प्रतिशत, अर्थात 63,47,509 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया। इसके अतिरिक्त इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2,18,674 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया, जो कि कुल मतों का 14 प्रतिशत है। इस मत प्रतिशत ने लगभग 13 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार के आँकड़े, नेताओं पर जनता के विश्वास की नकारात्मकता को दर्शाते हैं (The Hindu, Feb 2025; *Indian Express*, Feb 2025)। वर्तमान समय में चुनावी व्यवस्था इतनी अधिक खर्चीली हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल चुनावी खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा के एक संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपये निर्धारित की है, परंतु राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च की कोई सीमा न होने के कारण वे अपने प्रतिनिधियों पर अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अवैध धन जब्त किया गया, जिसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा नशीले पदार्थों के वितरण और मतों की खरीद-फरोख्त के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार का समय 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है, ताकि चुनावों में होने वाले अत्यधिक खर्च और अनियमितताओं को कम किया जा सके (Rangarajan, 2024, *The Hindu*, ECI, 2024)। वर्तमान समय में भारतीय चुनावी राजनीति में एक नई संस्कृति तीव्रता से विकसित हो रही है, जिसमें मुफ़्त वस्तुओं (Freebies) का वितरण किया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा जनता को मुफ्त वस्तुएँ जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल फोन, यहाँ तक कि लोगों के बैंक खातों में धन जमा करने जैसे वादे किए जाते हैं, जिनका देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रभाव

देखा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को बिना शर्त 1 लाख रुपये नकद देने और दूसरी ओर भाजपा द्वारा मुफ्त राशन और मुफ्त बिजली देने की घोषणाएं की गईं, ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। विधानसभा चुनावों में यह संस्कृति अत्यधिक प्रचलन में है। उदाहरण के लिए, 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं को 1500 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा महिलाओं को 2500 रुपये, आम आदमी पार्टी द्वारा 2100 रुपये, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 2500 रुपये नकद देने का वादा किया गया, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। चुनावी राजनीति में इस प्रकार का प्रचलन काफी हद तक लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की उचित परिभाषा को विकृत करता है। प्रत्येक चुनाव में, जहाँ महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक वादे किए जाते हैं, वहीं संसदीय व्यवस्था में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल 545 सदस्यों में से मात्र 74 महिलाएँ चुनकर आई हैं, जो कि कुल सदस्यों का लगभग 13.6 प्रतिशत है (Dinkar, 2023; Chawla, *Indian Express*, 2024)। प्रत्येक चुनाव के प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में प्रशासनिक बल का भी इस्तेमाल होता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख प्रशासनिक कर्मियों और लगभग 3 लाख 40 हजार केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इतनी अधिक प्रशासनिक तैनाती सरकार की विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे आम जनता की सुविधाओं में बाधा उत्पन्न होती है (The Hindu, March 2024; ECI, 2024)। भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद भी एक प्रमुख चुनौती है, जो प्रतिस्पर्धी, विमर्शी, और विशुद्ध लोकतंत्र के लिए गंभीर बाधा बन चुका है। फ्रेंच पैट्रिक (2019-20) ने भारतीय संसद के एक अध्ययन में पाया कि लोकसभा में चुनाव जीतकर आए 30 वर्ष से कम आयु के 100 प्रतिशत सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, जिन्हें उन्होंने वंशानुगत सांसद करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ऐसी परंपरा जारी रही तो भारत का लोकतंत्र पुनः वंशानुगत राजकुमारों के अधीन हो जाएगा (Murthy, 2022; Bahadur, 2023)। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा बहुमत प्राप्त करने हेतु जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उम्मीदवारों द्वारा विशेष जाति का वोट हासिल करने के लिए भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जिससे समाज में असहिष्णुता उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म सत्ता प्राप्त करने के प्रमुख साधन बन गए हैं, जो सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं (Pandey, 2024; Madar, 2023)। भारत के कई राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे और अन्य विविध मुद्दों को लेकर वर्षों से अंतर्विरोध चला आ रहा है। यह अंतर्विरोध विशेष रूप से चुनावों के दौरान तीव्र हो जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह दिल्ली के लिए वितरित किए जा रहे पेयजल में अमोनिया मिला रही है, जो कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है (The Hindu, January 2025)। इस प्रकार, चुनावों के दौरान राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठाते हैं, जिनसे उन्हें पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना अधिक होती है। भारतीय राजनीतिज्ञों को यह समझना होगा कि भारत की प्रत्येक समस्या का समाधान केवल चुनाव नहीं है। कुछ समस्याएँ प्रशासनिक होती हैं, जिनका समाधान केवल प्रशासन को सुदृढ़, मजबूत, उत्तरदायी और निष्पक्ष बनाकर ही किया जा सकता है।

8. स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से उत्पन्न हो रही चुनौतियाँ

भारतीय संसदीय व्यवस्था एवं स्थानीय शासन, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया ताकि स्थानीय स्तर पर लोग स्वयं शासन का संचालन कर सकें। अतः गांधी जी के विचारों को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित करके पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में कुछ राज्यों को छोड़कर राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वास्तव

में वे चुनावी प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इन चुनावों में कई बार राजनीतिक दलों द्वारा विचारधारात्मक विभाजन उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण स्तर पर लोगों का आपसी भाईचारा और सामंजस्य समाप्त हो जाता है (Rajasekhar, D, et al., 2017)। सामान्यतः लगभग सभी राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों का आयोजन अलग-अलग समय पर किया जाता है, जिसके कारण राज्यों के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। वर्तमान समय में सभी राज्यों के स्थानीय चुनाव एक साथ न होने और इन चुनावों में सामंजस्य स्थापित न होने के कारण प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्तर पर पंचायत वार्ड और नगरीय वार्ड की सीमा और जनसंख्या अत्यधिक कम होने के कारण लोगों के आपसी भाईचारे और सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन चुनावों में जातीय समुदाय का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है और लोग प्रतिनिधि की योग्यता की बजाय रिश्तेदारी और समुदाय को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। पंचायत चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में आम जनता से मतदान प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा देवी-देवताओं की कसमें दिलाई जाती हैं, जिसे देवनीति भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रथाएं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं (Palnata, 2023)। स्थानीय संस्थाओं में समान लिंग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को 50 फीसदी स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है, हालांकि कई स्थानों पर अनौपचारिक रूप से पंचायत के सभी कार्य महिलाओं के पतियों द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के पारासवारा गाँव में स्थानीय संस्था के चुनाव में 6 महिलाओं के निर्वाचित होने के पश्चात, उनके पतियों द्वारा पंचायत प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण की गई, जो कि समान प्रतिनिधित्व के कागज़ी दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है (Naidu, March, 2025)। इसके अतिरिक्त, स्थानीय संस्थाओं के लिए चुने जाने वाले सदस्यों का वेतन और भत्ते राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का मानदेय अलग-अलग होता है। विधायक और सांसद की तुलना में उनका वेतन बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में एक विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को वेतन और भत्तों सहित कुल लगभग 2 लाख 70 हजार से 3 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होते हैं, जबकि नगर निगम महापौर को 24,000, उपमहापौर को 18,000, पार्षद को 8,400 और नगर परिषद के पार्षद को मात्र 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलता है। वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों में जिला परिषद सदस्य को 7,800, पंचायत समिति सदस्य को 7,200, ग्राम पंचायत प्रधान को 7,200, उपप्रधान को 4,800 रुपये प्रतिमाह तथा वार्ड सदस्य को मात्र 500 रुपये प्रति बैठक प्राप्त होते हैं, जो कि अत्यंत कम है। इतने कम वेतन से सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण स्थानीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण जनकल्याण तथा विकास कार्य प्रभावित होते हैं (Vijayalakshmi, 2015 & Azam, 2024, LiveHindustan)। स्थानीय स्तर पर अत्यधिक विकेन्द्रीकरण भी चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं, जिनका निर्माण 1,000 से 1,500 या इससे भी कम जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इतनी कम जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के कारण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक (लाखों-करोड़ों में) हो गई है कि सरकार उन्हें उचित वेतन एवं भत्ते प्रदान नहीं कर पाती। प्रत्येक स्तर के चुनावों में अनेक उम्मीदवार बहुमत हासिल करने के लिए हिंसा और बाहुबल का प्रयोग करते हैं तथा बूथ कब्जा कर लोगों पर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जाता है। इस प्रकार की चुनावी अनियमितताएं चुनावी नियमों, कानूनों तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती हैं, जिनमें वोट गिनती में गड़बड़ी, अवैध मतदान करवाना, मतपत्रों से छेड़छाड़, रिश्वतखोरी और धमकी जैसी घटनाएँ अक्सर देखने को मिलती हैं। भारतीय चुनावी राजनीति में उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः कई बार ऐसे प्रतिनिधि चुन लिए

जाते हैं, जिन्हें जनता के वास्तविक मुद्दों की समझ बहुत कम होती है। यह लोकतंत्र की वैधता को चुनौती प्रदान करता है।

9. इन चुनौतियों का मुख्य विकल्प: एक राष्ट्र-एक चुनाव

भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली, अपनी विशालता, विविधता, जीवंतता और जटिलता के साथ, एक सतत विकासशील इकाई है, जिसमें विभिन्न नई-नई चुनौतियाँ उभरकर सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों के बीच, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' का विचार एक महत्वपूर्ण, साहसिक और महत्वाकांक्षी बहस का केंद्र बनकर उभरा है, जिसे भारतीय चुनावी व्यवस्था में सुधार के एक मुख्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह अवधारणा न केवल राजनीतिक विमर्श में, बल्कि नीति-निर्माण के गलियारों में भी गहन विश्लेषण का विषय बनी हुई है। यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद कई चुनौतियों – विशेष रूप से वित्तीय बोझ, अस्थिरता और प्रशासनिक बाधाओं – का समाधान प्रस्तुत करती है। इसके संभावित लाभ, जैसे कि संसाधनों की बचत, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, और विकास कार्यों में तेजी, इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। हालांकि, इस अवधारणा को लागू करने से पहले इसकी जटिलताओं और संभावित नकारात्मक परिणामों पर गहन विचार-विमर्श और सर्वसम्मत राजनीतिक सहमति आवश्यक है। यह केवल एक प्रशासनिक या वित्तीय सुधार नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति और कार्यप्रणाली को मौलिक रूप से प्रभावित करेगा। वर्तमान चुनावी प्रणाली में, जैसे ही किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह आचार संहिता नई परियोजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और सरकारी स्थानांतरणों पर प्रतिबंध लगा देती है। निरंतर चुनावी चक्र के कारण यह स्थिति बार-बार उत्पन्न होती है, जिससे विकास की गति धीमी पड़ जाती है और कई बार तो 'नीतिगत अपंगता' (policy paralysis) की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। एक साथ चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता की अवधि औसतन सीमित हो जाएगी, जिससे सरकारें पूरे पाँच वर्षों तक बिना किसी बड़ी रुकावट के अपनी नीतियों को लागू करने और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी। यह व्यवस्था राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को निरंतर चुनावी मोड से मुक्ति दिलाएगी। उन्हें हर समय चुनावी प्रचार में व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उन्हें सरकार चलाने, जनहितैषी नीतियाँ बनाने और अपने घोषणापत्रों में किए गए वादों को पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी कम हो सकती है और सरकारों को अधिक स्थायित्व भी मिल सकता है, जो दीर्घकालिक नियोजन और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मतदाता भागीदारी में भी संभावित वृद्धि हो सकती है। कुछ विश्लेषक यह भी तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय और राज्यीय मुद्दों के बीच एक सामंजस्य स्थापित होगा। मतदाता अपने निर्णय लेते समय राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय चिंताओं को भी एक साथ तौलेंगे, जिससे उन्हें अधिक समग्र और सुविचारित दृष्टिकोण से मतदान करने में मदद मिलेगी। अंततः, यह प्रणाली जाति, धर्म और धन के चुनावी प्रभाव को कम करने में भी सहायक हो सकती है। बार-बार होने वाले चुनाव प्रचार के कारण राजनीतिक दल अक्सर मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने और अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए इन संवेदनशील कारकों का उपयोग करते हैं। एक साथ चुनाव होने से प्रचार की अवधि सीमित हो जाएगी, जिससे इन विभाजनकारी तत्वों के उपयोग के अवसर कम होंगे और चुनावी प्रक्रिया में अधिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में संसदीय व स्थानीय चुनावों के समय अलग-अलग निर्मित मतदान प्रमाण पत्रों से न केवल समय का, बल्कि धन और प्रशासन का भी दुरुपयोग होता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित कोविन्द समिति (2024) ने स्थानीय निकायों के चुनाव का आयोजन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के पश्चात 100 दिनों के भीतर करवाने का सुझाव दिया है, ताकि इस दोहराव की समस्या का समाधान किया जा सके। एक राष्ट्र-एक चुनाव, भारतीय संसदीय व्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु स्थानीय स्तर की अनेक समस्याएं, जैसे कि भ्रष्टाचार, प्रतिनिधियों का कम वेतन, अत्यधिक विकेंद्रीकरण और आपसी भाईचारे में उत्पन्न

अंतर्कलह, इस नई व्यवस्था के लागू होने के पश्चात भी पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकेंगी लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात इन चुनौतियों पर गंभीर विचार किया जा सकता है। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को लागू करने के लिए अनेक संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक चुनौती है। परंतु इस प्रक्रिया का उपयोग अनेक अन्य संवैधानिक संशोधनों के लिए पहले भी किया जा चुका है। अतः, पूर्ववर्ती अनुभवों का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप, देश को निरंतर चुनावी चक्र से मुक्ति मिल सकती है। परंतु, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाने के लिए अत्यधिक संसाधनों, मतदान मशीनों, प्रशिक्षित मैनपावर और अभूतपूर्व संख्या में सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। अतः इस व्यवस्था के लागू होने पर चुनाव आयोग के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ प्रस्तुत होंगी, जिनका पूर्वानुमान लगाकर आयोग को पहले से ही उनके समाधान के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। समग्रता में, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' का विचार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। यह देश की चुनावी प्रणाली को अधिक कुशल बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई जटिल चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यापक सार्वजनिक विमर्श, और सभी हितधारकों के बीच गहन संवाद की आवश्यकता है, ताकि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए इसके भविष्य को सुदृढ़ और समावेशी रूप में आकार दिया जा सके।

10. जांच परिणाम

- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बार-बार चुनाव कराए जाने के कारण चुनावी खर्चों में वृद्धि, लंबे समय तक लागू रहने वाली आचार संहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक आपराधिकरण, शासन में व्यवधान और प्रशासन के दुरुपयोग जैसी अनेक चुनौतियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों में से अधिकतर का समाधान 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के माध्यम से किया जा सकता है।
- भारतीय संसदीय व्यवस्था में बार-बार चुनाव होना राजनीतिक सक्रियता का उदाहरण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। बहुतमत प्राप्त करने के लिए ये दल लोकलुभावन (प्रलोभनकारी) वादे करते हैं तथा जातीय और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर समाज में ध्रुवीकरण पैदा करते हैं, जिसे 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की प्रणाली द्वारा कुछ हद तक रोका जा सकता है।
- बार-बार चुनाव होने के कारण सरकार की कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि चुनावों के दौरान सरकारों का अधिकतर समय चुनावी रैलियों, जनसभाओं और प्रचार में व्यतीत होता है। यदि चुनाव समकालिक रूप से कराए जाएँ, तो समय की इस व्यर्थता को रोका जा सकता है और उसे जनकल्याणकारी कार्यों में लगाया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर की अनेक समस्याएं, जैसे कि भ्रष्टाचार, प्रतिनिधियों का कम वेतन, अत्यधिक विकेंद्रीकरण और आपसी भाईचारे में उत्पन्न अंतर्कलह, इस नई व्यवस्था के लागू होने के पश्चात भी पूरी तरह हल नहीं की जा सकेंगी, लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के पश्चात इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
- ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें चुनौतियाँ न हों, अतः भारतीय चुनावी व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। किसी भी व्यवस्था की प्रासंगिकता, वैधता और निरंतरता बनाए रखने के लिए सुधार आवश्यक होते हैं। अतः 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' भारतीय चुनावी व्यवस्था की प्रासंगिकता के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध हो सकता है।

11. सुझाव

- चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च के लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले असीमित खर्चों में कमी लाई जा सके।
- चुनावों के दौरान होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए एक विशेष चुनाव समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो चुनावी नियमों तथा आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों का शीघ्र निपटारा कर सके, ताकि चुनाव आयोग के कार्यभार को कम किया जा सके।
- यदि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की व्यवस्था लागू होती है, तो इससे निश्चित रूप से चुनाव आयोग के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी। ऐसे में वर्तमान तीन सदस्यीय चुनाव आयोग अपर्याप्त साबित हो सकता है, अतः आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता है या फिर, भारतीय चुनाव आयोग और विभिन्न राज्यों के चुनाव आयोगों के सभी सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त निकाय के रूप में कार्य करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

12. निष्कर्ष

चुनावी व्यवस्था अपने विशाल आकार, विविधता और जटिलताओं के कारण अद्वितीय मानी जाती है, किंतु वर्तमान समय में यह व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें बार-बार होने वाले चुनाव, आचार संहिता की बारंबारता से शासन प्रक्रिया पर प्रभाव, अत्यधिक आर्थिक व्यय, राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रशासनिक बोझ और विकास कार्यों में बाधा प्रमुख हैं। ये चुनौतियाँ न केवल संसाधनों की बर्बादी का कारण बनती हैं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। इन्हीं चुनौतियों के समाधान के रूप में "एक राष्ट्र-एक चुनाव" की अवधारणा को बल मिल रहा है। इससे चुनावों की आवृत्ति घटेगी, प्रशासनिक और सुरक्षा संसाधनों पर औसत दबाव कम होगा, और शासन व विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। इसलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय चुनावी व्यवस्था में सुधार की नितांत आवश्यकता है। "एक राष्ट्र-एक चुनाव" कोई पूर्ण समाधान नहीं है, परंतु यह वर्तमान असंगठित चुनावी चक्र की विसंगतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल हो सकती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद, विधायी इच्छाशक्ति और संघीय सहमति अत्यंत आवश्यक है, जिससे भारत का लोकतंत्र और अधिक सशक्त, सुचारु और समावेशी बन सके।

संदर्भ :

1. Chakarbarty, S, (7 June, 2024). 65.79% Turnout In 2024 Lok Sabha Polls, Says Election Commission, *The Hindu.*
2. Dinkar, D, K, (2023). Political and economic aspects of freebies politics in India: An analysis, *International Journal of Sociology and Political Science,* Volume 5, Issue 2.
3. Rangarajan, R, (2024). The Burgeoning Expenditure Of Election Explained, *The Hindu.*
4. Election Commission Of India (2024) Election Time Seizures To Corers Rs 9000 Corers Soon, *Press Note ECI*
5. The Hindu, (16 March 2024) 3.4 Lakh Central Security Personnel To Be Deployed In Lok Sabha, *The Hindu*

6. Gopal, N, (29, Feb, 2024) Himachal Pradesh Speaker Kuldeep Singh Pthania Disqualifies 6 Congress MLA Who Cross-Vote In Rajya Sabha Poll, *The Indian Expres.*
7. Gautam R, K, &, Hussain, M, A, (2020). An Analysis Of Election Communication In India, *IJRAR, Volume 7, Issue 3.*
8. Hande, H, V, (3, jun, 2024). How Ambedkar Create a Unitary, Independence EC, *The New Indian Express*.
9. Babitha, N. S. (2019). Certainty Of Tenure Of The Election Commissioners A Paramount Need, *ILI Law Review Vol. II.*
10. Pedada M, R, (2019). Election Commission Of India And Its Independence–A Critical Study, *IJLMH | Volume 2, Issue 5*
11. Roy, M, S, (2024). Issues and Challenges Of The Election Commission Of India In Present Scenario, *The Social Science Review A Multidisciplinary Journal*. Vol. 2. Issue 3.
12. Shamas, Q, F, (2025).The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act 2023: Implications For Electoral Independence, *Impact And Policy Research Institute.*
13. The Hindu Bureau, (19, Feb, 2025). CEC Appointment Hearing Highlights: Supreme Court Postpone Hearing On ECE/EC Appointment Law To March 19, *The Hindu.*
14. Palaniappan, V, S, (11, November, 2011) Waste Of Time, Money, *The Hindu.*
15. Flinders, M, V, (2017). Fifty Years Of Representation and Responsible Government Contemporary Relevance, Theoretical Revisions and Conceptual Reflection, *White Rose Research Online.*
16. Murthy, A, R, (2022). Indian Politics has seen the most of Nepotism in its History - A Study, *JETIR,* Volume 9, Issue 4.
17. Bahadur, T, S, (2023). The Nepotism and Favoritism in Politics of South Asia, *Paradigm Academic Press Studies in Social Science & Humanities* VOL.2, NO.10.
18. The Hindu, PTI, (14, Feb, 2025). 2024 LS Poll: NOTA Records Lowest Percentage Share Since Its Introduction, *The Hindu.*
19. The Indian Express, (14th Feb 2025). 2024 LS Poll: NOTA Records Lowest Percentage Share Since Introduce in 2014 General Election, *The New Indian Express*.
20. The Hindu Bureau, (21,April,2024. Lok Sabha Polls 2.09 Lakh Complaints Related To Poll Code Violations Field Via cVIGIL App So Far In Kerala, The Hindu.
21. Pandey, S, (2024). Political polarization and its impact on policy making, *International Journal of Applied Research*.
22. Madar, D, (2023). In the Shadows of Identity: India's History of Political Polarization and Majority Identity Politics, JETIR, Volume 10, Issue 11.
23. The Hindu, (29, January, 2025). BJP Wants Kejriwal Disbarred From Campaigning Following Controversy Over Ammonia In The Yamuna, The Hindu Bureau.
24. Rajasekhar, D, Et al,(2017). Are Elections To Grama Panchayats Party-Less? The Evidence From Karnataka, *The Institute for Social and Economic Change, Bangalore.*
25. Palnata, S, K, (2023).Devniti: Use Of Deities In Local Politics, *Economic And Political Weekly.* Vol. 58, Issue No. 10.
26. Naidu, J,S, (7,March, 2025). In Chhattisgarh Village, 6 Woman Elected To Panchayat, Their Husbands Take Oath, And A Video Goes Viral, The Indian Express. https//www.indianexpress.com.

27. Vijayalakshm, V, (2015). Corruption Aan Local Governance Evidence From Karnataka, *Ford Foundation.*
28. Rewal. S. T. L, (2019) Studying Elections in India: Scientific and Political Debates, S*outh Asia Multidisciplinary Academic Journal.*
29. Ubale. S & Shedge. V, (2022) Electoral Reforms in India: Issues and Challenges Before the Election Commission, *Vishwakarma University Law Journal (VULJ).*
30. Raju, B. M. (2015) Indian Electoral System - Major Issues and Remedies, PARIPEX - *Indian Journal of Research (PIJR)*
31. Singh R. & Dr. Bedi. S, (2019) *Electoral System: Democracy, Laws & Issue*, Bharti Publications.